विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर पर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है

- उदयपुर के डॉ. अजय मुर्डिया ने विक्रम भट्ट सहित आठ लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी की एफआईआर उदयपुर में दर्ज कराई थी

उदयपुर/जोधपुर, (कासं)। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर पर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है।

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में पाया गया है कि आरोपी विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी भट्ट ने अलग-अलग नामों से अलग-अलग फर्जी बिल तैयार करवाकर शिकायतकर्ता से पैसा ट्रांसफर करवाया है। उस पैसे को अपने खातों में डलवाकर खुद ने ही उपयोग में ले लिया। इस प्रकार आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता से अलग-अलग नाम के अकाउंट में 4 करोड़ 23 लाख 13 हजार 424 रुपए लिए। इसमें से 1 करोड़ 65 लाख 69 हजार 955 रुपए खुद के ही खातों में डलवाकर कर्जा उतारने के लिए उपयोग में ले लिए। विशिष्ट लोक अभियोजक ने कहा कि आपराधिक कृत्य में प्रार्थी मेहबूब अंसारी की सक्रिय भूमिका जांच के दौरान सामने आई है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी द्वारा गवाहों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण अनुसंधान अभी बाकी है। अलग से अभी पूछताछ करनी है। अगर इस समय यदि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने श्वेताम्बरी वी. भट्ट पत्नी विकम भट्ट, विक्रम भट्ट पुत्र प्रवीण भट्ट और मेहबूब अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया।

उदयपुर के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत आठ लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी की एफआईआर उदयपुर में दर्ज कराई थी। डॉ. अजय मुर्डिया का आरोप था कि एक इवेंट में उनकी मुलाकात दिनेश कटारिया से हुई थी। दिनेश कटारिया ने उन्हें पत्नी की बायोपिक बनाने का प्रस्ताव दिया। इस सिलसिले में दिनेश कटारिया ने 24 अप्रैल 2024 को मुंबई स्थित वृंदावन स्टूडियो बुलाया था। कटारिया ने उन्हें विक्रम भट्ट से मिलवाया, जहां भट्ट से बायोपिक बनाने पर चर्चा हुई थी। कुछ दिन बाद विक्रम और श्वेतांबरी भट्ट ने डॉक्टर अजय मुर्डिया को कहा कि 7 करोड़ रुपए और फाइनेंस करके वे 4 फिल्में 47 करोड़ में बना सकते हैं। इन फिल्मों की रिलीज से 100 से 200 करोड़ रुपए तक मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद उनके स्टाफ में अमनदीप मंजीत सिंह, मुदित, फरजाना आमिर अली, अबजानी, राहुल कुमार, सचिन गरगोटे, सबोबा भिमाना अडकरी के नाम के अकाउंट में 77 लाख 86 हजार 979 रुपए ट्रांसफर करवाए। इस तरह 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 400 रुपए ट्रांसफर किए। वहीं इंदिरा एंटरटेनमेंट से 42 करोड़ 70 लाख 82 हजार 232 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि चार फिल्मों का निर्माण 47 करोड़ में किया जाना तय हुआ था। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट ने केवल 2 फिल्म का निर्माण कर रिलीज करवाया। तीसरी फिल्म विश्व विराट लगभग 25 प्रतिशत ही बनाई गई। चौथी फिल्म महाराणा-रण की अभी तक शूटिंग भी शुरू नहीं हुई।

आरोप है कि डायरेक्टर ने फिल्म महाराणा-रण के ही 25 करोड़ हड़प लिए। इंदिरा आईवीएम के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया (पीड़ित) ने फिल्म डायरेक्टर, उनकी पत्नी, बेटी कृष्णा निवासी अंधेरी वेस्ट, मुंबई, दिनेश कटारिया निवासी सहेली नगर उदयपुर, महबूब अंसारी प्रोड्यूसर निवासी ठाणे, मुदित बुटट्रान निवासी दिल्ली, गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव डीएससी चेयरमैन, अशोक दुबे जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज मुंबई के खिलाफ भूपालपुरा (उदयपुर) थाने में रिपोर्ट दी थी।

जोधपुर एम्स में सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य जांच हुई

- आम मरीजों को असुविधा न हो और सुरक्षा में चूक न रहे, इसके लिए उन्हें सुबह जल्दी अस्पताल लाया गया
- जेल प्रशासन अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा, जिसके आधार पर कोर्ट उनके इलाज या जेल की सुविधाओं पर आगे का फैसला सुना सकता है
- सोनम की पत्नी लगातार उन पर लगाए आरोपों का खंडन करती रही हैं

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर की सेंट्रल जेल में चार माह से अधिक समय से बंद लद्दाख के पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के साथ एम्स ले जाया गया। यहां उनकी स्वास्थ्य जांच की गई है। एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने वांगचुक का परीक्षण किया है। इसकी रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि जेल के पानी से उन्हें पेट की गंभीर समस्या हो रही है। कोर्ट ने उनकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर अगली सुनवाई दो फरवरी को होने की जानकारी साझा की थी। वांगचुक की लोकप्रियता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एम्स परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आम मरीजों को असुविधा न हो और सुरक्षा में चूक न रहे, इसके लिए उन्हें सुबह जल्दी अस्पताल लाया गया। जेल प्रशासन अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा, जिसके आधार पर कोर्ट उनके इलाज या जेल की सुविधाओं पर आगे का फैसला सुना सकता है।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने दावा किया था कि पिछले 4 महीनों में जेल के डॉक्टर ने उनकी 21 बार जांच की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले ने कहा कि सामान्य जांच काफी नहीं है, और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वांगचुक की जांच किसी सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) से कराई जाए। पूरी मेडिकल रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में 2 फरवरी तक अदालत में पेश की जाए।

सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6वें शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान लद्दाख में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गत वर्ष 26 सितम्बर को जोधपुर जेल लाया गया। वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सोनम की पत्नी लगातार उन पर लगाए आरोपों का खंडन करती रही हैं। उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई के बाद अभी याचिका लंबित है, जिस पर अब दो फरवरी को सुनवाई होनी है। वांगचुक को जोधपुर जेल में चार माह से अधिक का समय हो चुका है।

बीकानेर में जीएनएम को 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

- महिला की पूर्व में डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और ममता कार्ड बनाने के बदले ली रिश्वत

बीकानेर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर चौकी ने श्रीडूंगरगढ़ के तोलियासर गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जीएनएम को 1500 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत महिला की पूर्व में डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और ममता कार्ड बनाने के बदले ली।

एसीबी के एएसपी विनोद कुमार ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ में तोलियासर निवासी महिला को ममता कार्ड बनवाना था। इसके लिए वह अपने ससुराल बालोतरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गई तो वहां पूर्व में हुई डिलीवरी का ऑनलाइन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा गया। इसके लिए वह श्रीडूंगरगढ़ के तोलियासर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंची। वहां वर्ष, 2016 में हुई पहली डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बदले जीएनएम रेखा ने 1500 रुपए की रिश्वत मांगी। इसके अलावा ममता कार्ड बनाने के 500 रुपए अलग से मांगे जो परिवादीया ने उसे दे दिए। बाद में 1500 रुपए मांगने की शिकायत ब्यूरो से की। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंची, जहां जीएनएम ने 1500 रुपए की रिश्वत लेकर अपने स्वेटर की जेब में रख लिए।

इंस्पेक्टर जयकुमार के नेतृत्व में ब्यूरो की टीम ने जीएनएम को गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद कर ली। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जीएनएम रेखा ने वर्ष, 2016 में सर्विस ज्वाइन की थी। वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्र स्थित रूम में ही रहती है। ब्यूरो की टीम में इंस्पेक्टर पिंकी गंगवाल, एएसआई बजरंगसिंह, जगदीश चौधरी, हेड कांस्टेबल राजेन्द्र, रतनसिंह, कांस्टेबल विमला, हरिराम और दिलीप शामिल थे।

साध्वी प्रेम बाईसा मौत प्रकरण की एसआईटी ने जांच शुरु की

एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, इंजेक्शन का एंगल जांच के दायरे में

- एसआईटी की प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि कंपाउण्डर देवी सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने साध्वी को सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे
- 'पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है, जरूरत पड़ने पर साध्वी के पिता से भी पूछताछ की जाएगी'

जोधपुर, (कासं)। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व एसीपी छवि शर्मा कर रही है। इसके अलावा एसआईटी टीम में बोरानाडा थानाधिकारी शकील और सायबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है।

एसआईटी की प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान कंपाउण्डर देवी सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने साध्वी को सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे। हालांकि इन इंजेक्शनों की प्रकृति, दवाओं के नाम और उनकी मात्रा को लेकर जांच अभी जारी है। इसके अलावा देवी सिंह की डिग्री और बैक ग्राउंड की भी पड़ताल की जा रही है। एसआईटी का कहना है कि इस मामले से जुड़ा हर व्यक्ति फिलहाल शक के दायरे में है और किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। छवि शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर साध्वी के पिता से भी पूछताछ की जाएगी।

एसआईटी की जांच सिर्फ मेडिकल एंगल तक सीमित नहीं है। आश्रम से जुड़े सभी बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आश्रम से जुड़े व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों की भी गहन पड़ताल की जा रही है, जिससे किसी तरह के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया जा सके। फिलहाल एसआईटी मेडिकल, आर्थिक और परिस्थितिजन्य सभी पहलुओं को जोड़कर मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। एसआईटी ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को सीआरपीसी की धारा 94 के तहत नोटिस दिया है। उसकी नर्सिंग डिग्री और उससे जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी डिग्री सही है या नहीं और क्या उन्हें इंजेक्शन देने का अधिकार था या नहीं। नोटिस में देवी सिंह से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी दवाएं दी, कितनी मात्रा में दी और दवाएं कहां से लाई गई थी। उनके मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांच में शामिल किए गए हैं।

एसआईटी ने प्रेक्षा अस्पताल को भी धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया है। अस्पताल से इलाज से जुड़े सभी कागजात, मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड और घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है। इससे यह पता लगाया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल किस हालत में लाया गया था और वहां क्या हुआ? फॉरेंसिक जांच को भी अहम माना जा रहा है। एफएसएल को भेजे गए सभी पत्रों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिससे यह साफ हो सके कि विसरा और अन्य सैंपल सही समय पर और सही तरीके से भेजे गए थे या नहीं। इसके साथ ही चल और अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जांच में शामिल हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह का संपत्ति विवाद या आर्थिक दबाव तो इस मामले से जुड़ा नहीं था। आयकर से जुड़े मामलों की भी पड़ताल हो रही है। आईटीआर और अन्य आय स्त्रोतों को देखकर आय और खर्च में किसी गड़बड़ी की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसियां साध्वी प्रेम बाईसा की हाल की यात्राओं की जानकारी भी जुटा रही है। कहां गई, किन लोगों से मिली और किन जगहों पर उनका आना जाना रहा। डिजिटल जांच के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट इस्तेमाल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। मोबाइल डेटा और ऑनलाइन गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े डिवाइस और अकाउंट्स की भी जांच हो रही है। खास तौर पर यह पता लगाया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल किस हालत में लाया गया था और वहां क्या हुआ? फॉरेंसिक जांच को भी अहम माना जा रहा है। एफएसएल को भेजे गए सभी पत्रों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिससे यह साफ हो सके कि विसरा और अन्य सैंपल सही समय पर और

बांसवाड़ा में हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल ने दो हजार की रिश्वत ली

बांसवाड़ा/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बांसवाड़ा टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी छोटी सरवा, थाना पाटन (जिला बांसवाड़ा) में तैनात हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

एसीबी के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके परिचित का अन्य लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें परिवादी के निजी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। क्षतिग्रस्त वाहन पुलिस थाना पाटन में जब्त था। परिचित की रिपोर्ट पर थाना पाटन में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच पुलिस चौकी छोटी सरवा में तैनात हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह को सौंपी गई थी। आरोप है कि हैड कांस्टेबल द्वारा परिवादी को वाहन क्षति की उचित राशि दिलाने तथा वाहन सुपुर्दगी की फाइल तैयार करने के एवज में अपने मुंशी कांस्टेबल जयपाल सिंह के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के लिए 30 जनवरी को एसीबी द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। जिसमें हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह द्वारा कांस्टेबल जयपाल सिंह के लिए रिश्वत मांगना प्रमाणित पाया गया। सत्यापन के दौरान कांस्टेबल जयपाल सिंह ने भी रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद एसीबी बांसवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल जयपाल सिंह को परिवादी से दो हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। मौके पर हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर पूछताछ के बाद हैड कांस्टेबल को भी डिटेन कर लिया गया। एसीबी की टीम दोनों आरोपियों के अन्य ठिकानों की तलाशी भी ले रही है।

सचिन पायलट आज उदयपुर, राजसमंद दौरे पर

उदयपुर, (निसं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट रविवार को उदयपुर एवं राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि पायलट प्रात: 6.55 बजे जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान द्वारा प्रस्थान कर प्रात: 7.45 बजे उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से प्रस्थान कर पायलट प्रात: 8.30 बजे भुवाणा पहुंचेंगे, जहां वे पीसीसी सदस्य डॉ. दुर्गा सिंह राठौर के पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात प्रात: 9 बजे भुवाणा से नाथद्वारा पहुंचेंगे, जहां वे पूर्व जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर की धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

सड़क पर मिला शिक्षक का शव, पास में बेहोश मिली पत्नी

- युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, तीन महीने पहले ही शादी हुई थी
- युवक ने तीन दिन पहले ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी जॉइन की थी

अनूपगढ़, (निसं)। श्रीगंगानगर जिले में निजी स्कूल के टीचर और उसकी पत्नी घर से 200 मीटर दूर बेसुध हालत में सड़क पर पड़े मिले। पड़ोसी युवक ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पति-पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने टीचर को मृत घोषित कर दिया। 3 महीने पहले ही टीचर की शादी हुई थी।

जानकारी के अनुसार घटना रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव एक केएलएम की है। पत्नी की हालत गंभीर है। युवक के सिर पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। मोबाइल भी उसके पास नहीं है। युवक ने तीन दिन पहले ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी जॉइन की थी।

एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि रात पौने दस बजे सूचना मिली कि गांव एक केएलएम में गांव की ओर जाने वाली सड़क किनारे पति-पत्नी बेहोश हालत में पड़े हैं। इस पर टीम मौके पर पहुंची तो उनकी पहचान आशीष (27) पुत्र रामरतन और उसकी पत्नी अंजू (25) के रूप में हुई। दोनों को रावला सीएचसी लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। आशीष के पड़ोसी डीजे संचालक तोलाराम ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9:35 बजे मैं डीजे लेकर अपने गांव आ रहा था। घर से 200 मीटर पहले सड़क किनारे एक महिला और एक युवक अचेत अवस्था में दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो मेरा पड़ोसी आशीष और उसकी पत्नी अंजू थी। अस्पताल में आशीष को मृत घोषित कर दिया। उसके सिर पर चोट के निशान हैं।

तोला राम ने बताया कि मैंने आशीष के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो सामने से कॉल को काट दिया गया और मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया गया। इसके बाद फौरन आशीष के परिजन और रावला पुलिस थाने में दी। पुलिस ने शव को रावला के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक आशीष की पत्नी अंजू को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया है। एसआई ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आशीष की पत्नी के होश में आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।

वृद्धा से जेवर की ठगी

उदयपुर, (निसं)।सविना थाना क्षेत्र में कार में सवार बदमाश वृद्धा से जेवरात की ठगी कर ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मजुखेतरा पत्नी बाबूलाल निवासी आई ब्लॉक सेक्टर 14 हुकडको कॉलोनी ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 30जनवरी को मैं सवेरे मोर्निंग वाक करने के लिए बाबुली जोधपुर मिष्ठान भण्डार की तरफ गई थी। इस दौरान कार में आए साधू के वेश में बदमाश ने बातचीत करने के दौरान मुझसे कार की टॉप्स खुलवा कर ठगी कर ले गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इससे पहले दो दिन पूर्व बसन्तीलाल चौबीसा निवासी सेक्टर 14 से भी 28 जनवरी को सोने की दो अंगूठियां एवं गले की चेन ठगी करने की वारदात हो चुकी है।

के. के. गुप्ता फिर से राजस्थान के स्वच्छता एम्बेसेडर बने

के. के. गुप्ता।

जयपुर/उदयपुर/डूंगरपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य समन्वयक और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के. के. गुप्ता को राज्य सरकार ने राजस्थान का स्वच्छता एम्बेसेडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन के हस्ताक्षर से उक्त सन्दर्भ में राज्य के समस्त जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है।

के. के. गुप्ता पूर्व में भी दो बार राज्य सरकार के स्वच्छता ब्राण्ड एम्बेसेडर रहें है। गुप्ता को उनके अनुकरणीय कार्यों और सेवाओं के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड प्रदान किए गए हैं। साथ ही विदेशी सरकारों और प्रतिष्ठानों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए नवीन दायित्व के तहत के. के. गुप्ता राज्य के समस्त जिलों और निकायी क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता अभियान को सशक्त करेंगे। स्वायत्त शासन सचिव द्वारा जारी पत्र में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर और राज्य के सभी स्थानीय निकायों में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर के. के. गुप्ता की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करें और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए उनके द्वारा बताये गए कार्यों और निर्देशों की पालना रिपोर्ट सात दिन में स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित करेंगे। इन बैठकों में स्थानीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्षों और पार्षदों को भी आमंत्रित करने के साथ ही डूंगरपुर मॉडल के कार्यों का प्रजेंटेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुसाफिर खाने से तीन संदिग्ध गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी थाना इलाके में होटल व मुसाफिर खानों में चैकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तीनों संदिग्ध कश्मीर के बारामुला के निवासी हैं, पकड़े गये संदिग्धों से सुरक्षा एजेसियां पूछताछ कर रही है।

भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर स्टेशन क्षेत्र के होटल व मुसाफिर खानों में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत स्टेशन स्थित मुसाफिर खाने से तीन जनों पर संदेह होने पर डिटेन कर पूछताछ की गई। थानाधिकारी ने बताया कि अभी तक मामले में सामने आया कि तीनों कशमीर के बारामुला के रहने वाले हैं जो बारामुला में मदरसों के निर्माण के नाम पर चंदा एकत्र करने के लिये आना बता रहे है। थानाधिकारी ने बताया कि तीनों संदिग्धों को पूछताछ के लिये सुरक्षा ऐजेंसियों को सौंप दिया है। मामले में पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

चूरू के कुमार अजय को ''सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान'' मिलेगा

- ''रिंकी टेलर'' और ''संजीवणी'' जैसी चर्चित राजस्थानी किताबों के रचयिता हैं युवा लेखक कुमार अजय, राजस्थानी सृजन के लिए सम्मान दिया जाएगा
- कुमार अजय वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक पद पर कार्यरत हैं

कुमार अजय

चूरू। ''रिंकी टेलर'' और ''संजीवणी'' जैसी चर्चित राजस्थानी किताबों के रचयिता युवा लेखक कुमार अजय को सृजन सेवा संस्थान, श्रीगंगानगर की ओर से ''सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान'' प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार शाम संस्थान की ओर से अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई।

संस्थान के अध्यक्ष अरूण शहैरिया 'ताइर' और कृष्ण कुमार आशु के मुताबिक कुमार अजय को उनके राजस्थानी सृजन के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। संस्थान की ओर से प्रख्यात विचारक-आलोचक डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रख्यात कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ, कैलाश मनहर, डॉ. मदन सैनी, कथादेश के संपादक डॉ. हरिनारायण, पवन पहाड़िया, मोनिका गौड़ आदि को भी पुरस्कृत-सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि चूरू जिले के गांव घांघू में 24 जुलाई 1982 को जन्मे कुमार अजय राजस्थानी और हिंदी के चर्चित लेखक है। राजस्थानी में उनके कविता संग्रह ''संजीवणी'', ''ऊभौ हूं अजै'', ''रिंकी टेलर'' काफी चर्चित रहे हैं, वहीं हिंदी में कविता संग्रह ''कहना ही है तो कहो'' एवं डायरी पुस्तक ''मैं चाहूं तो मुस्करा सकता हूं'' और ''आत्माओं में घुले दुख'' उनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। इसके अलावा संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

इससे पूर्व कुमार अजय साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार 2013, श्रीमती बसंती देवी धानुका युवा साहित्यकार पुरस्कार, ग्राम गदर पत्रकारिता पुरस्कार 2006, कुलिश स्मृति: कलम से स्वराज पत्रकारिता पुरस्कार 2007, मायड़ रत्न अलंकरण सहित अनेक पुरस्कार-सम्मान से समादृत हो चुके हैं। कुमार अजय वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक पद पर कार्यरत हैं। कुमार अजय को यह सम्मान दिए जाने की घोषणा पर अंचल के लेखकों-साहित्यप्रेमियों, पत्रकारों, जनसम्पर्ककर्मियों और उनके शुभचिंतकों ने प्रसन्नता जाहिर की है।

पटवारी का रुपए लेते हुए का वीडियो वायरल

जोधपुर, (कासं)। शहर में रुपए लेते हुए का पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस पर एसडीओ ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हलांकि पटवारी ने सफाई देते हुए बताया कि वीडियो दो साल पुराना है। गौशाला की चारदीवारी के लिए ग्रामीणों से चंदा लेने की बात कही है। मामले की जांच की जा रही है।

पटवारी ने सफाई दी है कि वीडियो दो साल पुराना है। ग्राम पंचायत प्रहलादपुर स्थित गौशाला की चारदीवारी निर्माण और रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्रित किया गया था, और चंदे की राशि गोवंश संरक्षण एवं गौशाला विकास के उद्देश्य से ली गई थी। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। वायरल वीडियो के मामले में जोधपुर जिला कलैक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और नोटिस जारी किया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।